न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, थानागाजी, अलवर

पीठासीन अधिकारी : **मनोज कुमार, आर०जे०एस०**
नियमित फौज0 प्रकरण संख्या : 1250/2023(620/2015)(CISNo. 2226/2015)
एफआईआर नंबर : 100/2015 थाना प्रतापगढ

राजस्थान राज्य ब ना म जयसिंह व अन्य

अपराध अन्तर्गत धारा 148, 149, 323, 341, 336, 325 भारतीय दण्ड संहिता

भाग प्रथम

क

परिवादी	घासीराम पुत्र रेवडमल निवासी गुवाडा गुगली का पुलिस थाना प्रतापगढ़ जिला अलवर.
प्रस्तुतकर्ता	श्री सुनील कुमार चौधरी, अभियोजन अधिकारी
अभियुक्तगण का नाम व पता	1. जयसिंह पुत्र भौरेलाल उम्र 25 साल, 2. किशन पुत्र रामजीलाल उम्र 45 साल, 3. श्योदान पुत्र भौरेलाल उम्र 38 साल, 4. सरदार सिंह पुत्र रणजीता उम्र 38 साल, 5. जयराम पुत्र रामजीलाल उम्र 40 साल, समस्त निवासी गुगली का गुवाडा पुलिस थाना प्रतापगढ़ जिला अलवर, राजस्थान
अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री महेन्द्र नारवार

ख

क्रम संख्या	चरण	दिनांक
1.	प्रकरण संस्थित हुआ	17.10.2015
2.	आरोप विरचित किए गए	15.09.2016
3.	साक्ष्य अभियोजन खोली गयी	15.09.2016
4.	अभियोजन साक्ष्य समाप्त की गयी	06.02.2026
5.	परीक्षण अंतर्गत धारा 313 सीआरपीसी	17.02.2026
6.	साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश की गयी	.....
7.	बहस अंतिम सुनी गयी	17.03.2026
8.	अंतिम निर्णय	17.03.2026

ग

अभियुक्त का विवरण

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छोड़े जाने की	अभियुक्त पर आरोप का विवरण	दोषसिद्धि या दोषमुक्त	दिये गए दण्ड का विवरण	धारा 428 दं.प्र. सं. के परिप्रेक्ष्य हेतु अवधि

			तिथि			(यदि कोई हो तो)	
1. 2. 3. 4. 5.	जयसिंह किशन श्योदान सरदार सिंह जयराम			धारा 148, 149, 323, 341, 336, 325 भारतीय दण्ड संहिता	धारा 148, 149 भा.द.सं. में दोषमुक्त एवं धारा 323, 341, 336, 325, 34 भा.द.सं. में दोषसिद्ध		.....

भाग द्वितीय
अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाह

रैंक	साक्षी का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चष्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी0ड0 1	घासीराम	परिवादी/मजरूब
पी0ड0 2	राकेश	चश्मदीद
पी0ड0 3	बंशी	चश्मदीद
पी0ड0 4	डॉ0 रमेश कुमार	चिकित्सकीय विशेषज्ञ
पी0ड0 5	कैलाश चंद	अनुसंधान अधिकारी
पी0ड0 6	विश्वनाथ शर्मा	आरोप पत्र पेश करने
पी0ड0 7	बनवारी	चश्मदीद
पी0ड0 8	रामबाई	मजरूब/चश्मदीद
पी0ड0 9	रामकुंवार	चश्मदीद
पी0ड0 10	छोटी देवी	चश्मदीद
पी0ड0 11	सियाराम	नक्शा मौका
पी0ड0 12	लक्ष्मा देवी	चश्मदीद
पी0ड0 13	पप्पूराम	मजरूब/चश्मदीद
पी0ड0 14	डॉ0 बलवंत सिंह	चिकित्सकीय विशेषज्ञ

ब–बचाव पक्ष

रैंक	साक्षी का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चष्मदीद गवाह, पुलिस गवाह,

		विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)

<u>स–न्यायालय गवाह</u>

रैंक	साक्षी का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चष्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
————————		

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श
<u>अ</u>–अभियोजन <u>प्रदर्श</u>

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
1.	प्रदर्श पी–1	तहरीरी रिपोर्ट
2.	प्रदर्श पी–2	एफआईआर
3.	प्रदर्श पी–3	नक्शा मौका
4.	प्रदर्श पी–4	बयान अंतर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. राकेश
5.	प्रदर्श पी–4	चोट प्रतिवेदन घासीराम
5.	प्रदर्श पी–5	बयान अंतर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. बंशीधर
6.	प्रदर्श पी–6	चोट प्रतिवेदन पप्पू
7.	प्रदर्श पी–7	चोट प्रतिवेदन रामबाई
8.	प्रदर्श पी–8	हालात मौका
9.	प्रदर्श पी–9	चोट प्रतिवेदन घासीराम
10.	प्रदर्श पी–10	एक्सरे रिपोर्ट घासीराम
11.	प्रदर्श पी–11	चोट प्रतिवेदन घासीराम
12.	प्रदर्श पी–12	एक्सरे रिपोर्ट घासीराम
13.	प्रदर्श पी–13	दंत एक्सरे प्लेट घासीराम
14.	प्रदर्श पी–14	साक्ष्य देने के लिए बंध पत्र बनवारी लाल
15.	प्रदर्श पी–15	आधार कार्ड की फोटो कॉपी
16.	प्रदर्श पी–16	बयान अंतर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. बनवारी लाल
17.	प्रदर्श पी–17	बयान अंतर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. रामकुंवार

—:: निर्णय ::— **दिनांकः 17.03.2026**

1. यह आरोप पत्र अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 148, 149, 323, 341, 336, 325 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में थानाधिकारी थाना प्रतापगढ जिला अलवर ने जरिए अभियोजन अधिकारी न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, थानागाजी, अलवर के समक्ष पेश किया। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर के आदेश से उक्त प्रकरण की पत्रावली इस न्यायालय में अंतरित होकर प्राप्त हुई। एतद्द्वारा आरोप—पत्र का निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी घासीराम ने तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 थाना प्रतापगढ में दिनांक 16.09.2015 को इस आशय की पेश की कि दिनांक 13.09.2015 को समय शाम करीब 07.00 बजे के लगभग सरदार पुत्र रणजीत, श्रीकिशन पुत्र रामजीलाल, जयराम पुत्र रामजीलाल, दिलखुश पुत्र श्रीकिशन, कालूराम पुत्र रामप्रताप, दयाराम पुत्र रमेश, जयसिंह पुत्र भौरेलाल, धर्मेन्द्र पुत्र श्रीकिशन, धारया पुत्र कल्याण, श्योदान पुत्र भौरेलाल, प्रहलाद पुत्र भरतलाल आदि व्यक्तियों ने कुल्हाडी, सरियो व लाठियों से जानलेवा हमला कर उसे एवं उसकी बच्ची रामबाई को कुल्हाडा धारदार हथियार से मारपीट कर घायल कर दिया एवं बच्ची के गले का सोने का जंतर भी तोड ले गये। उसे व उसकी बच्ची रामबाई एवं पप्पू को उपचार वास्ते घायल अवस्था में प्रतापगढ हॉस्पीटल लेकर आए तब उनका उपचार प्रतापगढ हॉस्पीटल में न होने के कारण रैफर कर दिया। मारपीट उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहते है इस बात को लेकर ये वारदात की। उक्त व्यक्तियों ने ये वारदार खसरा नंबर 246 को लेकर की.....आदि। तथ्यो पर थाना प्रतापगढ द्वारा एफआईआर संख्या 100/2015 अंतर्गत धारा 143, 323, 341, 379 भारतीय दंड संहिता में दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध धारा 148, 149, 323, 341, 336, 325 भारतीय दंड संहिता के अपराध में आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्व धारा 148, 149, 323, 341, 336, 325 भारतीय दंड संहिता के अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. अभियुक्तगण को अपराध अन्तर्गत धारा 148, 149, 323, 341, 336, 325 भारतीय दंड संहिता का आरोप विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए भाग द्वितीय में वर्णित गवाहों के बयान करवाए व दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए।

5. अभियुक्तगण को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया

तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्षियों द्वारा झूंठे कथन करना बताते हुए जाहिर किया कि उन्हें प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है तथा साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं करना जाहिर किया।

1. प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि :–

(क) क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 13.09.2015 को समय शाम करीब 07.00 पी0एम0 पर मौजा गुगली का गुवाडा में विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में परिवादी/मजरूब घासीराम, रामबाई व पप्पू को उस दिशा में जाने से निवृत्त किया जिस दिशा में जाने का उन्हें विधिक अधिकार प्राप्त था तथा उनके साथ कुंदालय मारपीट कर आहत रामबाई, पप्पू के शरीर पर स्वेच्छया साधारण एवं आहत घासीराम के मुंह के दो दांत तोडकर स्वेच्छया घोर उपहति व शरीर पर अन्य जगह स्वेच्छया साधारण प्रकृति की चोट कारित कर घातक आयुद्ध लाठी, डंडे, सरिया, पाईप, कुल्हाडी, चाकू, बरछी आदि हथियारो से लैस होकर बल अथवा हिंसा कारित की एवं उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक तरीके से पत्थर फेंककर मानव जीवन संकटापित किया ?

(ख) यदि हां तो अभियुक्तगण किस दण्ड के पात्र है ?

6. इस संबंध में बहस करते हुये विद्वान दौराने बहस विद्वान् अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है। प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा विधि विरूद्ध जमाव कर परिवादी व उसकी पुत्री रामबाई तथा पुत्र पप्पू के साथ मारपीट कर उनके शरीर पर साधारण एवं गंभीर चोटे कारित कर उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक तरीके से पत्थर फेंककर मानव जीवन संकटापित करना अभियोजन साक्ष्य से प्रमाणित है। कोई तात्विक विरोधाभास गवाहान के बयानो में नहीं है। अभियुक्तगण पर अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है। उक्त तर्कों के साथ अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर समुचित दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

7. बचाव पक्ष की ओर से इसका कड़ा विरोध किया तथा तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध किसी प्रकार से संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है। अभियुक्तगण ने परिवादी पक्ष के साथ कोई मारपीट नहीं की न ही किसी प्रकार से पत्थर फेकें। अभियोजन पक्ष की ओर से जो भी गवाह परीक्षित हुये हैं उनके कथनों में भारी विरोधाभास है। किसी भी गवाह

ने घटना का समर्थन नहीं किया है। किसी भी गवाह ने अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं की है। अभियोजन पक्ष ने ऐसे किसी तथ्य को प्रमाणित नहीं किया है जिससे कि अभियुक्तगण इस अपराध में आलिप्त होना पाया जाता हो। इसलिये अभियोजन का मामला संदेहों से परे प्रमाणित नहीं होने से अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने के पात्र है। उक्त तर्को के साथ अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

8. उभय पक्षकारान की बहस के संदर्भ में पत्रावली का अध्ययन किया जिसमें अभियोजन की ओर से साक्षी **पी0ड0 1 घासीराम** ने अपने मुख्य परीक्षण बयानो में कथन किया है कि वह अनपढ है। करीब 6–7 साल पहले शाम को करीब 7 बजे की बात है। वह उस समय उसकी पाटोल में ही था। फिर किशन, जयराम, जयसिंह, सोदान, सरदार, रमेश, कालू आये और उसके साथ मारपीट करने लग गये। इनमें से एक ने उसके लाठी की मारी जो कालू था। उसकी लडकी रामबाई के सिर पर टांचे की मारी थी। पप्पू के पैरो पर रोड की मारी थी। उनका बीच बचाव कराने कोई नहीं आया। फिर उसने घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज करवाई थी। जो प्रदर्श पी 1 है, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2, घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 3, चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 4 है तथा उसके जबडे का एक्सरे हुआ था जिसकी एक्सरे रिपोर्ट व एक्सरे प्लेट शामिल पत्रावली की। झगडे में उसके सिर व जबडे में चोट आई थी। जिसमें उसके नीचे के 4 दांत टूट गये थे। **बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन** किया है कि यह बात सही है कि घटना की तारीख उसे याद नहीं है। उसने घटना की रिपोर्ट कौनसी तारीख को कराई थी यह भी याद नहीं है। किन्तु घटना की रिपोर्ट घटना के 3–4 दिन बाद कराई थी। उनके साथ मारपीट लाठी, सरिया व टांचा से हुई थी। यह कहना गलत है कि उसके सिर पर कुल्हाडी की चोट मारी हो बल्कि लाठी से मारी थी। उसके लाठी किसने मारी, उसे ध्यान नहीं है। सबने मिलकर मारपीट की थी। उसके सिर पर लाठी की जयराम ने मारी थी और लाठी का ठूंसा देकर दांत भी उसी ने तोडा था। बाकी सब ने मारपीट की थी। यह सही है कि झगडा बाडे को लेकर हुआ था। यह बात सही है कि बाडे पर दोनों पक्षकार अपना अपना हक बताते है। बाडे में पानी की टंकी बनी हुई है जो मुल्जिमान ने जबरदस्ती बनाई थी। यह कहना गलत है कि उस पानी की टंकी पर उनकी भैंस पानी पीती हो, बल्कि केवल मुल्जिमान की भैंस पानी पीती है। क्योंकि उस बाडे में भैंस मुल्जिमान की ही रहती है। अजखुद कहा कि वक्त घटना बाडे में भैंस उनकी ही बंधती थी, मुल्जिमान की नहीं। यह सही है कि उस दिन चन्दर और किशन तथा वह व पप्पू बाडे में मौजूद थे। यह

कहना गलत है कि वह बाडे को हडप करना चाहता है और कहासुनी पर उल्टे मुंह पत्थर पर गिरने से उसके दांत टूटे हो और मुल्जिमान ने उसके साथ कोई मारपीट नही की हो।

9. **गवाह पी0ड0 2 राकेश, पी0ड0 3 बंशी, पी0ड0 7 बनवारी व पी0ड0 9 रामकुंवार** प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुए है। गवाह पी0ड0 2 राकेश ने अपने मुख्य परीक्षण बयानो में करीब 7–8 साल पहले 7–8 बजे की घटना होना बताते हुए पप्पूराम के पैर में चोट लगी हुई होना बताते हुए जाहिर किया है कि पप्पू के साथ किसने मारपीट की उसे पता नहीं है। वह घर के अंदर था। **अभियोजन की जिरह में** पुलिस बयान प्रदर्श पी 4 का ए से बी भाग पुलिस नहीं देना जाहिर किया है। **गवाह पी0ड0 3 बंशी** ने भी उसके सामने किसी के साथ लडाई झगडा नहीं होना बताते हुए पुलिस बयान प्रदर्श पी 5 पुलिस को नहीं देना जाहिर कर **बचाव पक्ष की जिरह में** जाहिर किया है कि उसने झगडा होते हुए नहीं देखा। गवाह पी0ड0 7 बनवारी ने घासीराम व मुल्जिमान के बीच में झगडा देखना नहीं बताते हुए जिरह द्वारा अभियोजन पक्ष में यह कहना गलत बताया है कि झगडा व मारपीट होते हुए उसने देखा था। गवाह पी0ड0 9 रामकुंवार ने उसके सामने कोई झगडा नहीं होना जाहिर करते हुए जिरह द्वारा अभियोजन में पुलिस बयान प्रदर्श पी 17 पुलिस को नहीं देना जाहिर किया है।

10. **गवाह पी0ड0 4 डॉ0 रमेश कुमार** ने अपने मुख्य परीक्षण बयानो में कथन किया है कि दिनांक 13.09.2015 को वह पीएचसी प्रतापगढ में एमओ के पद पर तैनात था। उस दिन एसएचओ प्रतापगढ के प्रतिवेदन पर मजरूब पप्पू पुत्र घ ाासीराम के शरीर पर आई चोटो का मेडिकल किया था। मजरूब के दोनों पैर के टखनो पर सूजन व दर्द की शिकायत थी। बाहय चोट नहीं थी। जिसकी एक्सरे कराने की राय दी गई थी। बाद एक्सरे उक्त चोट साधारण प्रकृति की पाई गई। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 6 है। उसी दिन मजरूब घासीराम पुत्र रेवडराम के शरीर पर आई चोटो का मेडिकल किया था। चोट संख्या 1 दांत टेम्परल सिर के दांये तरफ कुचला हुआ घाव 10 गुणा 2 सेमी. जिसकी एक्सरे कराने की राय दी गई थी। चोट संख्या 2 नीचले जबडे में दो दांत मिसिंग थे। जिनकी जगह से ब्लीडिंग हो रही थी। जिसकी एक्सरे व डेन्टल राय के लिए एडवाईस किया गया था। पीठ पर दर्द की शिकायत थी बाहय चोट नहीं थी। सभी चोटे 2–3 घंटे के अंदर की थी। बाद एक्सरे मजरूब के चोट संख्या 1 साधारण प्रकृति की, चोट संख्या 2 गंभीर प्रकृति की व चोट संख्या 3 साधारण प्रकृति की थी। सभी चोटे कुंद हथियार से कारित थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 4 है। उसी दिन मजरूबा रामबाई पुत्री घासी

राम के शरीर पर आई चोटो का मेडिकल किया था। जिसके शरीर पर चोट संख्या 1 शरीर पर कनपटी पर 6 गुणा 1 सेमी. फटा हुआ घाव, चोट संख्या 2 दांये हाथ की कलाई में दर्द एवं सूजन बाहय चोट नहीं थी। बाद एक्सरे सभी चोटे साधारण प्रकृति की व कुंद हथियार से कारित थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 7 है। **बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में** गवाह ने कथन किया है कि एक व्यक्ति के मेडिकल में 15–20 मिनट लगते है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 4 व प्रदर्श पी 7 समय 5 मिनट में तैयार कर दिये थे। प्रदर्श पी 4 में मजरूब के चोट संख्या 1 ऑक्सीपिटल पार्ट पर नही थी। मजरूबान के चोटे कठोर धरातल पर गिरने की संभावना से इंकार नही कया जा सकता।

11. **गवाह पी0ड0 5 कैलाश चंद** ने अपने मुख्य परीक्षण बयानो में दिनांक 17.09.2015 को वह पुलिस थाना प्रतापगढ पर हैड कांस्टेबल के पद पर तैनात होना बताते हुए मुकदमा नंबर 100/2015 अंतर्गत धारा 143, 323, 341, 379 भा.द.स. की तफतीश उसे सुपुर्द होना जाहिर किया है तथा दौराने अनुसंधान घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 है तैयार कर गवाहान घासीराम, रामबाई, पप्पूराम, रामनाथ, छोटीदेवी, लक्ष्मादेवी, रामकुंवार, लहरीराम, बनवारीलाल के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध कर जाहिर किया है कि मजरूबान पप्पू घासीराम, रामबाई के चोट प्रतिवेदन एवं मजरूब घासीराम के दांतों का एक्सरे करवाकर मेडिकल रिपोर्ट, एक्स रे रिपोर्ट व एक्स रे प्लेट प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये थे। घासी का चोट प्रतिवेदन दिनांक 22.09.2015 प्रदर्श पी–9, एक्स रे रिपोर्ट दिनांक 22.09.2015 प्रदर्श पी–10, चोट प्रतिवेदन दिनांक 01.10.2015 प्रदर्श पी–11, एक्स रे रिपोर्ट दिनांक 01.10.2015 प्रदर्श पी–12 तथा दन्त एक्सरे प्रदर्श पी–13 प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये। बाद अनुसंधान मुलजिमान जयसिंह, किशन, श्योदान, सरदारसिंह जयराम के विरूद्ध जुर्म धारा 148, 149, 323, 341, 336, 325 भादस का प्रमाणित मानकर पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही एसएचओ साहब के सुपुर्द की थी। **बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि** रिपोर्ट 17.09.2015 को दर्ज हुई थी और उसने उसी दिन नक्शा मौका बनाया था। घटना के 5–6 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज हुई थी फिर कहा कि 4–5 दिन बाद दर्ज हुई थी। नक्शा मौका कितने बजे बनाया, घटना स्थल पर उसके साथ कौन कौन गया उसे ध्यान नहीं है। मजरूबान 13 तारीख को थाने पर आए थे और 13 तारीख को कोई रिपोर्ट थाने पर नहीं दी थी। मजरूबान ने रिपोर्ट दर्ज करनके लिए तहरीर 16 तारीख को दी थी। यह बात सही है कि प्रदर्श पी 9 लगायत प्रदर्श पी 13 पर मजरूब के हस्ताक्षर नहीं है। इस मुकदमे का क्रोस मुकदमा सरकार बनाम घासीराम में उसने ही

अनुसंधान किया था। उसने क्रोस केस में घासीराम व पप्पू को मुल्जिम माना है। यह कहना गलत है कि दोनों प्रकरणो में दोनों पक्ष अग्रेषिव रहे हो। इस प्रकरण में जयसिंह अग्रेसिव पक्ष रहा है। क्रोस केस में अग्रेसिव पक्ष कौनसा था वह फाइल देखकर बता सकता है। मुल्जिमान और परिवादी के मध्य जमीन का विवाद हो तो उसे ध्यान नहीं।

12. **गवाह पी0ड0 6 विश्वनाथ शर्मा** ने अपने मुख्य परीक्षण बयानो दिनांक 17.09.2015 को वह थानाधिकारी थाना प्रतापगढ के पद पर तैनात होना बताते हुए उस दिन परिवादी घासीराम ने एक हस्तलिखित तहरीरी रिपोर्ट की पुश्त पर कार्यवाही पुलिस अंकित कर मुकदमा नंबर 100/15 अंतर्गत धारा 143, 323, 341, 379 भा.द.स. में दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली वास्ते अनुसंधान श्री कैलाश चंद एचसी नंबर 576 के जिम्मे करने की साक्ष्य दी है तथा रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 व चाक एफआई प्रदर्श पी–2 होना जाहिर कर बाद अनुसंधान मुलजिमान जयसिंह, किशन, श्योदान, सरदार सिंह, जयराम के विरूद्ध जुर्म धारा 148, 149, 323, 341, 325, 336 भा.द.स. का प्रमाणित मानकर अपरोक्त धाराओ में चार्जशीट नंबर 56/15 न्यायालय में पेश करना जाहिर किया है। **बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में गवाह ने** कथन किया है। यह कहना गलत है कि उसने पत्रावली को अक्षरशः से नहीं पढकर ही चार्जशीट पेश कर दी हो।

13. **गवाह पी0ड0 8 रामबाई** ने अपने मुख्य परीक्षण बयानो में कथन किया है कि वह अनपढ़ है तथा पढना लिखना नहीं जानती इसलिए घटना की तारीख महीना, साल नहीं बता सकती। करीब 9 साल पहले शाम के 6–7 बजे की बात है। उस समय अपने पाटोल के पास बैठी थी। उस समय उसके साथ उसके पिता घासीराम, भाई पप्पू, मां लक्ष्मा भी वहीं पर बैठे हुए थे। तभी एक राय होकर सरदार, श्योदान, जयसिंह, किशन, जयराम आए और उन्हें गालियां निकालने लगे। और उनकी तरफ पत्थर फेंकने लगे और फिर उनके साथ लाठी और सरियों से मारपीट करने लगे। मारपीट में उसके भाई पप्पू के पैर में चोट आई, उसके पिता के साथ मारपीट कर रहे थे तो वह बचाने गयी थी तब उसके साथ भी लाठी और सरियों व पत्थरों से मारपीट की। मारपीट में उसके पिता घासीराम के सामने के नीचे के जबडे के दांत टूट गये थे। उसके सिर में और हाथ में तथा शरीर पर कई जगह चोट आई थी। उसके पिता के सिर में भी चोट आई थी। हम को अधमरा करके छोड गये थे फिर हमने हमारा इलाज सरकारी अस्पातल प्रतापगढ में करवाया था। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–7 होना बताया। उसका झगड़े के समय सोने का जंतर गले में पहन रखा था उसे भी इन लोगों ने झगड़े के दौरान तोड़ लिया था। **बचाव पक्ष द्वारा किये गये**

प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि झगडे के वक्त उसकी उम्र 11–12 साल थी। उस समय वह स्कूल नहीं जाती थी, वह कभी स्कूल नहीं गई। उस समय वह सोने, चांदी की परख जानती थी सोना पीला होता है ओर चांदी सफेद रहती है। उनके घर के आगे रास्ता था और रास्ते के आगे पाटोल और बाडा था। उस बाडे को मुल्जिमान लेना चाहते थे। इस कारण झगडा हुआ था। बाडा उसके पिता के नाम है। उसके कागज उसके पिता के नाम है। उस बाडे को मुल्जिमान जबरन लेना चाहते है और वे उस बाडे को नहीं देना चाहते है। उसके पुलिस में बयान हुए थे, किसी महिला कांस्टेबल ने लिये थे या नहीं उसे नहीं पता। अजखुद कहा कि महिला पुलिसकर्मी ने उसके बयान नहीं लिये। यदि वहां कोई महिला पुलिसकर्मी बैठी हो तो उसे ध्यान नहीं है। मारपीट में उसके कई जगह चोट आई थी। उसके हाथ और सिर पर ज्यादा चोट आई थी तथा बाकी शरीर पर कमर, पीठ, पैर पर भी चोटे आई थी। यह कहना गलत है कि बाडा जयसिंह का था जिस पर पप्पू कब्जा करना चाह रहा था इसी बात को लेकर पप्पू ने पहले जयसिंह वगैरा के साथ मारपीट की थी।

14. **गवाह पी0ड0 10 छोटी देवी** ने अपने मुख्य परीक्षण बयानो में कथन किया है कि वह अनपढ़ है पढना लिखना नही जानती इसलिए घटना की तारीख व महिना नही बता सकती। करीब 10 साल व 3–4 महिने की बात है। शाम को करीब 7–8 बज रहे थे। वह अपने बाडे में गाय का दूध निकाल रही थी। पास में ही बाडे में उसका ससुर बैठा था। तभी वहां पर अचानक श्रीकिशन, जयराम, जयसिंह, श्योदान, सरदार आये और आते ही उन्हें गाली गलौच करने लगे और कहने लगे की बाडा उनका है। उन्होंने कहा कि बाडा तो हमारा है तो ये आवेश में आ गये और हमारी तरफ ताबडतोड पत्थर फेकने लग गये। उसका ससुर धासी पत्थरो से बचने के लिये वहा से भागने लगा तो श्योदान व सरदार ने उसके ससुर को पकड लिया और डण्डो से पीटने लगे। ससुर ने बचाने के लिये चिल्लाया तो वह, उसकी सास लक्ष्मा, ननद रामबाई और जेठ पप्पू उनको बचाने गये तो इन सबने मिलकर हमें पकड लिया। उसकी ननद रामबाई, ससुर घासी को बचाने के लिये उसके उपर गिर गयी तो इन सबने रामबाई के साथ भी डण्डो से पत्थरो से मारपीट की। इन सबने मिलकर उसके, सास लक्ष्मा व जेठ पप्पूराम के साथ भी डण्डो से व पत्थरो से मारपीट की। उसके व उसकी सास के ज्यादा चोटे नही आयी थी। **बचाव** पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि वह वक्त लडाई झगडा गाय का दूध निकाल रही थी और उसके पास ही बाडे में ससुर बैठा हुआ था। झगडा उनके बाडे में ही हुआ था। मुल्जिमान परिवार में जेठ ससुर लगते है। इसी झगडे

को लेकर मुल्जिमान ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा रखी है। यह कहना गलत है कि बाडा मुल्जिमान का हो और उन्होंने उस पर कब्जा कर रखा हो। यह कहना गलत है कि बाडा सरकारी हो, बल्कि उनका है। बाडा उनके नाम होने वाली बात उने पुलिस को बताई थी, लेकिन उसके पुलिस बयान मे यह बात क्यों नहीं लिखी उसे नहीं पता। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया हो जिसके बचाव में उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई हो। यह कहना गलत है कि उसका ससुर झगडे के समय दूर भाग गया हो, बल्कि उसे भागते हुए मौके पर ही पकडकर मुल्जिमान ने उसके साथ मारपीट की। यह कहना गलत है कि झगडे के समय उन्होनें भी पत्थर फेंके हो जिससे मुल्जिमान के चोटे आई हो। यह कहना गलत है कि वह दूध निकालकर मकान में चली गई थी और जब तक वह मौके पर आई तब तक झगडा हो गया हो बल्कि झगडा उसके सामने ही हुआ था। यह कहना गलत है कि भागते समय घासी गिर गया था जिससे उसके जबडे में चोटे आई हो बल्कि चोट मारपीट से आई थी।

15. **गवाह पी0ड0 11 सियाराम** ने अपने मुख्य परीक्षण बयानो में कथन किया है कि करीब 10–10.15 साल पहले की बात है। जयसिंह वगैरा ने उसके घरवालों के साथ उनके बाडे में आकर मारपीट की। जिस जगह पर मारपीट की थी उसका नक्शा मौका घटना के 3–4 दिन बाद पुलिस ने मौके पर आकर उसके सामने बनाया था जो प्रदर्श पी 3 है। **बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में** गवाह ने कथन किया है कि मारपीट उसके सामने नहीं हुई है। नक्शा मौका किस तारीख, महिना और साल में बनाया था उसे नहीं पता। वह नक्शा मौके के बारे में नही समझता।

16. **गवाह पी0ड0 12 लक्ष्मा देवी** ने अपने मुख्य परीक्षण बयानो में कथन किया है कि वह अनपढ है पढना लिखना नहीं जानती इसलिए घटना की तारीख व महिना नही बता सकती। करीब 10–10.5 साल पहले शाम को करीब 7–8 बजे की बात है। वह उस समय अपने घर पर थी और उसकी बहू छोटी देवी बाड़े में गाय का दूध निकाल रही थी। पास में ही बाड़े में उसका पति घासीराम बैठा था। तभी वहां पर अचानक श्रीकिशन, जयराम, जयसिंह, श्योदान, सरदार आये और आते ही उन्हें गाली गलौच करने लगे और कहने लगे की बाडा हमारा है। उन्होंने कहा कि बाडा तो हमारा है तो ये आवेश में आ गये और उनकी तरफ पत्थर फेंकने लग गये। उसका पति घासीराम पत्थरो से बचने के लिये वहां से भागने लगा तो श्योदान व सरदार ने उसके पति को पकड लिया और डण्डो से पीटने लगे। उसका पति बचने के लिये चिल्लाया तो वह, उसकी बहू छोटी, बेटी रामबाई और बेटा पप्पू उनको

बचाने गये तो इन सबने मिलकर उन्हें पकड लिया। उसकी बेटी रामबाई, पति को बचाने के लिये उसके उपर गिर गयी तो इन सबने रामबाई के साथ भी डण्डो से पत्थरो से मारपीट की। इन सबने मिलकर उसके, उसकी बहू छोटी व बेटे पप्पूराम के साथ भी डण्डो से व पत्थरो से मारपीट की। पुलिस मौके पर आ गयी थी जो उसे, उसके पति घासीराम, पप्पू व रामबाई व छोटी को सरकारी अस्पताल प्रतापगढ लेकर आए जहां हमारा ईलाज करवाया। मारपीट में उसके पति घासीराम का जबडा व दांत टूट गए थे और शरीर पर व सिर पर चोटे आई थी। उसके बेटे पप्पू व रामबाई के भी ज्यादा चोटे आई थी। उसके व उसकी बहू छोटी देवी के ज्यादा चोटे नहीं आई थी इसलिए उन्होंने उनका मेडिकल नही करवाया था। **बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में** गवाह ने कथन किया है कि वह अनपढ है पढी लिखी नहीं है। झगडा कब हुआ तारीख उसे ध्यान नहीं है। घटना 10 साल पहले की है। विवादित बाडा घरो के पास है। जब झगडा हुआ तब वह घर ही थी। जब झगडे के शोर शराबे की आवाजे हुई तब वह वहां गई थी। जब वह वहां गई तो किसने किसके चोट मारी उसे नहीं पता। लडाई झगडे में काफी लोग थे। झगडे में वे 4–5 लोग थे। यह कहना गलत है कि बचाव में उन्होंने पत्थरबाजी की हो, बल्कि मुल्जिमान लोगो ने की है। पुलिस शाम को 7–8 बजे पहुंची थी। झगडा जमीन को लेकर हुआ था। पुलिस में उसके बयान हुए थे।

17. **गवाह पी0ड0 13 पप्पूराम** ने अपने मुख्य परीक्षण बयानो में कथन किया है कि दिनांक 13.09.2015 को शाम के लगभग 7–8 बजे की बात है। उनके घर के पास में पाटोल है जिसमें आकर मुलजिमान श्योदान, सरदार, जयसिंह, श्रीकिशन, जयराम ने हमारे साथ झगडा किया। श्रीकिशन ने उसके पिता घासीराम के सिर में बांकडी की मारी। उसकी बहन रामबाई उसके पिता को बचाने के लिये उसके उपर गिर गई। वह भी अपने पिता को बचाने गया तो उक्त लोगो उसके पीछे भी भगने लगे। सरदार और श्योदान ने उसके पैरो पर सरिये व लाठी से मारी थी। उसकी बहन रामबाई के उक्त लोगो ने मारपीट की। उसे श्रीराम व रामनाथ ने अपने घर में छुपाकर बचाया वरना उक्त लोग उसके साथ और ज्यादा मारपीट करते। मारपीट मे उसके पिता घासीराम के नीचे के तीन दांत टूट गये थे। घटना स्थल का नक्शा मौका प्रर्दर्श पी 03 उसके सामने बनाया था। गवाह ने अपना चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 06 होना कथन किया है। **बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में गवाह ने** कथन किया है कि उक्त मुल्जिमान उसके परिवार के नहीं है। यह कहना गलत है कि लडाई झगडे के टाइम वह वहां पर ना हो। यह कहना गलत है कि उसने बीचबचाव नही किया हो वहां छोडकर भाग गया हो। जब वह अपने पिता का बीच

बचाव कराने गया तो उसको भी मारने के लिए मुल्जिमान उसकी तरफ भगे तब वह वहां से भाग गया।

18. **गवाह पी0ड0 14 डॉ0 बलवंत सिंह** ने अपने मुख्य परीक्षण बयानो में कथन किया है कि वह दिनांक 03.10.2015 जी एच अलवर में कनिष्ठ दंत विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत था। उस दिन थाना प्रतापगढ़ के प्रतिवेदन पर घासीराम के दांतो का 21/12 मिसींग होने पर एक्सरे कराने की राय दी थी। जिसका एक्सरे साफ नही आने पर दुबारा दिनांक 05.10.15 को एक्सरे कराकर उसके द्वारा राय दी गई थी। घासीराम के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 09 व पी 10 तथा एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 13 जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी 12 है। राय के अनुसार बांये साईड का सेन्ट्रल इंसाईजर पूरी तरह निकला हुआ था। दांई तरफ सेन्ट्रल इंसाईजर व दोनो तरफ के लेट्रल इंसाईजर टूटे हुए थे। जिनकी जडे सोकिट में मौजूद थी। चूंकि मुह के अंदर व बाहर उस दिन कोई चोट नही थी इसलिए अंतिम राय हेतु एमओ को रैफर किया गया था। **बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में गवाह** ने कथन किया कि यह कहना सही है कि मजरूब की उक्त चोटे कठोर धरातल व मुंह के बल गिरने पर यह चोटे आना संभव है।

19. उभय पक्ष के तर्को व पत्रावली पर विद्यमान साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि घासीराम ने पुलिस थाना प्रतापगढ में एक तहरीरी रिपोर्ट दिनांक 16.09.2015 को इस आशय की दर्ज करवाई कि दिनांक 13.09.2015 को समय शाम करीब 07.00 बजे के लगभग सरदार, श्रीकिशन, जयराम, दिलखुश, कालूराम, दयाराम, जयसिंह, धर्मेन्द्र, धारया, श्योदान, प्रहलाद आदि व्यक्तियों ने कुल्हाडी, सरियो व लाठियों से जानलेवा हमला कर उसे एवं उसकी बच्ची रामबाई को कुल्हाडा धारदार हथियार से मारपीट कर घायल कर दिया एवं बच्ची के गले का सोने का जंतर भी तोड ले गये। जिसके संबंध में परिवादी/मजरूब घासीराम को अभियोजन की ओर से न्यायालय में गवाह पी0ड0 1 के रूप में परीक्षित कराया है। जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में तहरीरी रिपोर्ट का समर्थन करते हुये अभियुक्तगण के द्वारा उसके एवं उसकी लडकी रामबाई के साथ मारपीट करना बताया है तथा आगे कथन किया है कि उसके कालू ने लाठी की मारी थी। उसकी लडकी रामबाई के सिर पर टांचे की मारी थी। पप्पू के पैरो पर रोड मारी थी। जिसका पुलिस ने नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी 3 है तथा घ ाटना में आई चोटो का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 4 है। झगडे में उसके सिर व जबडे में चोट आई थी। जिसमें उसके नीचे के 4 दांत टूट गये थे। विद्वान अधिवक्ता बचाव के द्वारा इस गवाह से **जिरह की** गई है जिरह में भी इस गवाह ने

अभियुक्तगण के द्वारा लाठी से मारपीट किये जाने के संबंध में स्पष्ट कथन किया है और यह भी कहा है कि उसके सिर पर लाठी की जयराम ने मारी और लाठी का ठूंसा देकर दांत भी उसी ने तोडा था। इसके अतिरिक्त झगडा बाडे की बात को लेकर होना बताते हुए अभियुक्तगण के द्वारा उसके एवं उसकी लडकी रामबाई के साथ मारपीट किये जाने व जिससे उनके शरीर पर चोटे आने की साक्ष्य दी है। विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष जिरह में उक्त गवाह से ऐसा कोई तथ्य निकलवाने में असमर्थ रहे हैं जिससे कि अभियोजन कहानी पर अविश्वास किया जा सके अपितु गवाह अपनी जिरह में मुख्य परीक्षा में दिये गये मुल्जिमान द्वारा मारपीट करने के कथन से अखण्डित रहा है। गवाह पी0ड0 8 रामबाई ने गवाह पी0ड0 1 घासीराम के बयानों का समर्थन करते हुये ही बयान दिया है एवं अभियुक्तगण के द्वारा उसके एवं उसके पिता घासीराम के साथ लाठी एवं सरियो से मारपीट किये जाने से उनके चोटें आने की साक्ष्य दी है। आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि सरदार, श्योदान, जयसिंह, किशन, जयराम उनकी ओर पत्थर फेंकने लगे और उनके साथ लाठी और सरियो व पत्थरो से मारपीट की। वह बचाने गई तब उसके साथ भी लाठी और सरियों व पत्थरो से मारपीट की। इसके अतिरिक्त गवाह ने मारपीट में उसके पिता घासीराम के सिर में चोट आना एवं मुंह के सामने के नीचे के दो जबडे के दांत टूटना तथा उसके स्वयं के सिर और हाथ तथा शरीर पर कई जगह चोटे आना जाहिर करते हुए स्वयं के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 7 का होना स्वीकार किया है। **जिरह** में भी यह गवाह अपने बयानों पर कायम रही है तथा अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट किये जाने के कथन को दोहराया है। गवाह पी0ड0 10 छोटी देवी ने भी अभियुक्तगण श्रीकिशन, जयराम, जयसिंह, श्योदान, सरदार का एकराय होकर आना बताया है। तथा स्पष्ट रूप से जाहिर किया है कि उसके ससुर घासी पत्थरो से बचने के लिए वहां से भागने लगे तो श्योदान व सरदार ने उसके ससुर को पकड लिया ओर डण्डो से पीटने लगे तथा ससुर के चिल्लाने पर वह, सास लक्ष्मा, ननद रामबाई और जेठ पप्पू बचाने गये तो इन सबने उसके, लक्ष्मा, पप्पूराम व रामबाई के साथ डण्डो व पत्थरो से मारपीट की। विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में गवाह के बयान अखण्डित रहे है। तथा गवाह ने भागते समय घ ाासी के गिर जाने के संबंध में दिये गये बचाव पक्ष के सुझाव को गलत होना बताते हुए स्पष्ट कहा है कि चोट मारपीट करने से आई थी। गवाह पी0ड0 12 लक्ष्मा देवी ने भी अपने मुख्य परीक्षण बयानो में अभियुक्तगण श्रीकिशन, जयराम, जयसिंह, श्योदान, सरदार द्वारा उनके साथ गाली गलोच करने, पत्थर फेंकने व मारपीट किये जाने की साक्ष्य दी है और मुल्जिमान द्वारा आवेश में आकर उनकी तरफ पत्थर

फेंकना जाहिर कर स्पष्ट कथन किया है कि उसका पति घासीराम पत्थरो से बचने के लिए वहां से भागने लगा तो श्योदान व सरदार ने उसको पकड लिया और डण्डो से पीटने लगे। जब उसका पति घासी बचने के लिए चिल्लाया तो वह, उसकी बहू छोटी, बेटी रामबाई और बेटा पप्पू उनको बचाने गये तो इन सबने मिलकर उन्हें पकड लिया तथा रामबाई के साथ भी डण्डो व पत्थरो से मारपीट की। इसके अतिरिक्त गवाह ने मारपीट में घासीराम, पप्पू व रामबाई के शरीर पर चोटे आने की ताईद की है। गवाह पी0ड0 13 पप्पूराम जो कि प्रकरण का मजरूब है ने भी अपने मुख्य परीक्षण बयानो में अभियुक्तगण श्योदान, सरदार, जयसिंह, श्रीकिशन, जयराम द्वारा मारपीट किये जाने का कथन किया है तथा श्रीकिशन द्वारा उसके पिता घासीराम के सिर में बांकडी की मारना तथा रामबाई के साथ भी बचाव करते समय मारपीट करना जाहिर किया है। इसके अतिरिक्त सरदार और श्योदान के द्वारा उसके पैरो पर सरिये व लाठी से मारपीट करना बताते हुए मारपीट में उसके पिता घासीराम के नीचे के तीन दांत टूट जाने की साक्ष्य दी है। **विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में भी गवाह ने अखण्डित रहते हुए कथन किया कि यह कहना गलत है कि वह लडाई झगडे के टाइम वह वहां ना हो और उसने बीच बचाव नही किया हो।** झगड़े में मजरूबान के आई चोटों की पुष्टि के संबंध में गवाह पी0ड0 4 डॉ0 रमेश कुमार को परीक्षित किया है जिसने मजरूबान घासी राम, पप्पू व रामबाई के शरीर पर चोटें आने की पुष्टि करते हुए मेडिकल मुआयना करने पर मजरूब घासी के दांये टेम्परल सिर के दांये तरफ कुचला हुआ घाव 10 गुणा 2 सेमी. तथा चोट संख्या 2 नीचले जबडे में दो दांत मिसिंग होना व जिनकी जगह से ब्लीडिंग होने की स्पष्ट साक्ष्य दी है। इसके अतिरिक्त मजरूब घासीराम के चोट संख्या 1 व 3 साधारण प्रकृति की व चोट संख्या 2 गंभीर प्रकृति की होना बताते हुए मजरूब पप्पू के दोनों पैर के टखनो पर सूजन व दर्द की शिकायत होना एवं मजरूबा रामबाई की कनपटी पर फटा हुआ घाव व दांये हाथ की कलाई मे दर्द एवं सूजन होने की एवं चोटो का कुंद हथियार से कारित होना एवं सभी चोटे 2 से 3 घंटे के अंदर की होना जाहिर करते हुए मजरूबान समस्त के चोट प्रतिवेदन क्रमशः प्रदर्श पी 4, 6 व 7 को इस साक्षी ने प्रमाणित किया है। गवाह पी0ड0 14 डॉ0 बलवंत सिंह भी प्रकरण में चिकित्सकीय गवाह है जिसने भी अपने मुख्य परीक्षण बयानो में मजरूब घासीराम के दांतो पर आई चोटो का मुआयना करना जाहिर करते हुए घासीराम के मुंह के बांये साईड का सेन्ट्रल इंसाईजर पूरी तरह निकला हुआ होना एवं दांई तरफ सेन्ट्रल इंसाईजर व दोनो तरफ के लेट्रल इंसाईजर टूटे हुए होने की साक्ष्य दी है। **इस प्रकार**

चिकित्सकीय साक्षीयों ने मजरूबान के शरीर पर आई चोटो का मेडिकल मुआयना करना और चोटो की अवधि 2 से 3 घंटे के भीतर की होना तथा मजरूब घासीराम के दो दांतो का मिसिंग होना जिनमें ब्लीडिंग होना प्रमाणित किया है। हालांकि उक्त चिकित्सीय साक्षीयों ने मजरूबान के शरीर पर गिरने पडने से उक्त चोटो के आने की संभावना से इंकार नहीं किया है। परंतु यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में समस्त मजरूबान ने अपनी शरीर पर आई चोटे मुल्जिमान द्वारा मारपीट कर कारित किया जाना एकरूपतापूर्वक जाहिर किया है और शरीर के किस हिस्से पर चोट आई इसे भी बखूवी बताया है। इसके अतिरिक्त चिकित्सक के द्वारा दी गई केवल एक विशेषज्ञ के रूप में दी गई राय है। तथा इन गवाहान ने एक संभावना जाहिर की है। जो कि प्रकरण के मजरूबान द्वारा दी गई एकरूपतापूर्वक साक्ष्य के प्रकाश में एक संभावना ही मानी जायेगी। **प्रकरण में स्वयं आहत घासीराम ने जयराम द्वारा उसके लाठी से सिर में व मुंह में ठूंसा देकर दांत तोडने की तथा रामबाई ने उसके व उसके पिता व भाई पप्पू के शरीर पर मुल्जिमान द्वारा चोट कारित करने व साक्षी लक्ष्मा व छोटी द्वारा वक्त घटना मुल्जिम श्योदान व सरदार द्वारा घासीराम को पकडने तथा पप्पू ने मुल्जिम किशन द्वारा उसके पिता घ ाासीराम के चोट कारित करने की स्पष्ट साक्ष्य दी है। इस प्रकार उक्त गवाहान ने अपने बयानो से एकरूपतापूर्वक मुल्जिमान जयराम, किशन, सरदार व श्योदान द्वारा अंधाधुंध पत्थर फेंकने व लाठी, डंडो से मारपीट करने व मारपीट में मजरूबान के शरीर पर साधारण व घोर उपहति कारित होने की ताईद की है।** प्रकरण के हालांकि अन्य गवाहान पी0ड0 2 श्रीराम, पी0ड0 3 बंशी, पी0ड0 7 बनवारी व पी0ड0 9 रामकुंवार न्यायालय पक्षद्रोही घोषित रहे है। परंतु इन गवाहान ने भी ऐसी साक्ष्य नहीं दी है कि प्रदर्श पी 1 तहरीरी रिपोर्ट में वर्णित घटना कारित नहीं हुई हो और मजरूबान के चोटे अभियोजन द्वारा बताई गई घटना में कारित नहीं होकर भिन्न कारण से कारित हुई हो। प्रकरण में गवाह पी0ड0 11 सियाराम प्रकरण में नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 का गवाह है जिसने भी अपने मुख्य परीक्षण बयानो में पुलिस द्वारा मौके पर आकर नक्शा मौका बनाये जाने की ताईद की है। गवाह पी0ड0 5 कैलाश चंद प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है जिसने अपने मुख्य परीक्षण बयानो में स्वयं के द्वारा अनुसंधान किया जाना एवं सभी फर्दो को तैयार किये जाने के कथन किये है।

20. प्रकरण में अभियुक्तगण पर धारा 148 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध का आरोप है। अतः प्रश्न यह आता है कि **क्या अभियुक्तगण द्वारा लाठी, डण्डो व पत्थरो से अवैध सभा का सदस्य रहते हुए परिवादी पक्ष के साथ हथियारो**

से लैस होकर मारपीट कर बल व हिंसा कारित की गई ? तो इस संबंध में अभियोजन का यह कहना है कि लाठी, डण्डो व पत्थरो को लेकर एक राय होकर मुल्जिमान आए थे तथा परिवादी पक्ष के साथ मारपीट की थी। यद्यपि की मजरूबान के शरीर पर कुन्द हथियार से चोटों का आना पाया गया है किन्तु प्रकरण के परिवादी घासीराम, पप्पू व रामबाई के शरीर पर जो चोंटें आई है वह बिना किसी लाठी, डण्डे व पत्थरो से मारने पर संभव नही है। क्योंकि मजरूब घासीराम के आगे के दोनों दांत मिसिंग थे और वक्त मेडिकल मुआयना दांतो की जगह से खून आने की पुष्टि चिकित्सीय साक्षी ने की है। इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से उपरोक्त मजरूबान के मुख्य परीक्षा में मुल्जिमान द्वारा उनके साथ मारपीट करने के संबंध में दिये गये कथन अखण्डित रहे है और यह बात भी प्रमाणित है कि मजरूब घासीराम के मुंह में जयराम ने लाठी का ठूंसा देकर घासीराम के दांत को तोडा। हालांकि यहां यह उल्लेखनीय है कि बल व हिंसा कारित करने के लिए अवैध सभा के गठन के लिए पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। प्रकरण में किसी भी गवाह ने मुल्जिम जयसिंह के द्वारा स्पष्ट रूप से मारपीट करने व उसके द्वारा किसी आहत के चोट कारित करने की साक्ष्य नहीं दी है। प्रकरण में बाडे को लेकर विवाद होना गवाहान के बयान से उजागर हुआ है जो कि दोनों पक्षो के मध्य रंजिश का होना स्पष्ट करता है। इसके अतिरिक्त मौके पर मुल्जिमान के साथ केवल उपस्थित होना, उपस्थित मुल्जिम की अपराध कारित करने में सहभागिता को स्वतः प्रमाणित नहीं करता है। इसे प्रमाणित करने के लिए अभियुक्त की अपराध की घटना कारित करने में सक्रिय भागीदारी (Active Participation) प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। मजरूबान के बयानो से केवल अभियुक्त जयराम, श्योदान, सरदार एवं किशन की स्पष्ट रूप से घटना कारित करने में सहभागिता प्रमाणित होती है। ऐसे में प्रकरण में यह तथ्य तो प्रमाणित है कि अभियुक्तगण श्योदान, सरदार, किशन व जयराम ने एकराय होकर सामान्य आशय के अग्रसरण में अंधाधुंध पत्थर फेंके तथा मजरूबान घासीराम, पप्पू व रामबाई के साथ घातक हथियारो से लैस होकर मारपीट की और उनके शरीर पर स्वेच्छया साधारण व घोर उपहति कारित की। परंतु प्रकरण में अभियुक्त जयसिंह की घटना कारित करने में सहभागिता प्रमाणित नहीं होने से प्रकरण में अवैध सभा का गठन होना प्रमाणित नहीं होता है। जिस कारण वक्त घटना अभियुक्तगण द्वारा अवैध सभा का सदस्य रहते हुए बल व हिंसा कारित किया जाना नहीं माना जा सकता।

21. प्रकरण में बचाब पक्ष ने बाडे के विवाद को लेकर परिवादी पक्ष द्वारा रंजिश रखने से बचाव लिया है कि परिवादी ने मामला झूंठा दर्ज करवाया है। इस संबंध में

साक्ष्य का विश्लेषण किया जाए तो रंजिश स्वतः मामले को झूंठा साबित नहीं करती क्योंकि ऐसा आधार लडाई–झगडे का कारण भी होता है। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पी0ड0 5 कैलाश चंद ने इस घटना के संबंध में दोनों पक्षो के मध्य क्रोस केस होने की पुष्टि की है। इसके अतिरिक्त परिवादी घासीराम की जिरह में बचाव पक्ष ने यह सुझाव रखा था कि लडाई बाडे को लेकर हुई थी। इससे यह ध्वनित होता है कि लडाई झगडा तो हुआ था। इसके अतिरिक्त प्रकरण में घटना की दिनांक 13.09.2015 को ही समय 10.55 पी.एम. पर आहतगण का मेडिकल हुआ है। जिनकी चोटे 2 से 3 घंटे की भीतर होने की साक्ष्य चिकित्सीय साक्षी ने दी है। जिस कारण भी प्रकरण में मामला परिवादी ने झूंठा दर्ज करवाया हो, ऐसा माना जाना एकमात्र कयास लगाना रह जाता है। इस प्रकार बचाव पक्ष का उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

22. जहां तक अभियोजन साक्षियों के कथनों में कतिपय विरोधाभाष का प्रश्न है तो इस संबंध में ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि एक ही तथ्य के संबंध में विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा उसी को बात भिन्न–2 तरीके से कही जा सकती हैं, और साक्षियों से आडियों कैसेट की तरह से साक्ष्य देने की अपेक्षा कानून में नहीं की गयी है। अपितु यदि साक्षी द्वारा दिये गये समस्त साक्ष्य का सार आरोप को बिना किसी संदेह के प्रमाणित करने का है तो उसके साक्ष्य को सिर्फ इसलिये दर किनार नहीं किया जा सकता कि उसका कथन अन्य साक्षियों से कतिपय भिन्न है। यहां यह उल्लेखनीय है कि यदि साक्षियों की साक्ष्य में तात्विक विन्दुओं पर समानता है तो उसे पूरा महत्व दिया जाना चाहिए। इस मामले में परीक्षित कराये गये समस्त मजरूबान साक्षियों के कथनों से यह बात बिना किसी संदेह के प्रमाणित होती है कि अभियुक्तगण द्वारा वक्त घटना पत्थर फेंककर मानव जीवन संकटमय बनाया व अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में कार्य करते हुए मजरूबान को जबरन रोककर मौके पर लड़ाई झगड़ा किया गया एवं मजरूबान के साथ लाठी डंडो से मारपीट कर उनके शरीर पर स्वेच्छया साधारण व गंभीर प्रकृति की चोटें कारित की।

23. जहां तक बचाव पक्ष के साक्षियों के एक ही परिवार के होकर हितबद्ध साक्षी होने से उनकी साक्ष्य विश्वसनीय नहीं होने के संबंध में दिये गये तर्क का प्रश्न है तो प्रकरण में बचाव पक्ष का यह कहना सही है कि गवाह पी0ड0 1 घासीराम, पी0ड0 8 रामबाई, पी0ड0 10 छोटी देवी, पी0ड0 12 लक्ष्मा देवी व पी0ड0 13 पप्पू सभी एक ही परिवार के है। परंतु इन गवाहान में घासीराम, रामबाई व पप्पू आहतगण गवाह है और स्वयं आहत साक्षी की साक्ष्य को कानून में महत्वपूर्ण जगह दी गई है। केवल इस आधार पर की गवाहान एक ही परिवार के है और हितबद्ध

है, इस आधार पर साक्षी की गवाही को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता। प्रकरण में मजरूबान द्वारा दी गई साक्ष्य व प्रकरण में दोनों पक्षो के मध्य क्रोस केस होना तथा मजरूबान के शरीर पर आयी चोटों के प्रकाश में यह बात नहीं मानी जा सकती कि ये उक्त साक्षीगण हितबद्ध होकर झूंठी गवाही दे रहे हैं बल्कि उनके द्वारा दिये गये साक्ष्य से यह बात बिना किसी संदेह के प्रमाणित होती है कि अभियुक्तगण ने पत्थर फेंककर मानव जीवन संकटमय बनाकर मजरूबान घासीराम, रामबाई व पप्पू को जबरन रोका और उनके साथ कुंद हथियार लाठी, डंडो से मारपीट कर चोटे कारित की। इस बात से भी प्रमाणित होता है कि प्रकरण में घ ाटना के तत्काल बाद ही चोटों का मुआयना किया गया है।

24. इस प्रकार पत्रावली पर आयी साक्ष्य का समग्रावलोकन व मूल्यांकन से यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है कि घटना के वक्त अभियुक्त जयराम, सरदार, किशन व श्योराम ने सामान्य आशय के अग्रसरण में मजरूबान घ ाासीराम, पप्पू व रामबाई का साशय अवरोध कारित कर उनके साथ कुंद हथियार से मारपीट की एवं मारपीट के दौरान जयराम ने घासीराम के मुंह के आगे के दो दांत को तोडकर उसके शरीर पर स्वेच्छया घोर उपहति व अन्य जगहो पर साधारण उपहति तथा आहत पप्पू व रामबाई के शरीर पर भी उक्त अभियुक्तगण ने कुंद हथियार से स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की एवं उक्त मुल्जिमान ने वक्त घ ाटना अंधाधुंध पत्थर फेंककर आहतगण के साथ साथ मानव जीवन को संकटापन्न बनाया। परंतु अभियोजन पक्ष अभियुक्त जयसिंह की घटना कारित करने में सक्रिय भागीदारी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। इसके अतिरिक्त समस्त अभियुक्तगण पर धारा 148 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध के आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में अभियोजन पक्ष असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्त जयसिंह को 341, 323 325, 336, 148, 149 भारतीय दंड संहिता के अपराध के आरोप से दोषमुक्त एवं अभियुक्तगण जयराम, किशन, श्योदान व सरदार को धारा 148, 149 भारतीय दंड संहिता के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाना एवं अभियुक्तगण जयराम, किशन, श्योदान व सरदार को 341, 323 325, 336, सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध के आरोप के लिए दोषसिद्ध किया जाना न्यायालय न्यायसंगत पाता है।

25. परिणामतः अभियुक्तगण जयसिंह पुत्र भौरेलाल उम्र 25 साल,निवासी गुगली का गुवाडा पुलिस थाना प्रतापगढ़ जिला अलवर, राजस्थान को धारा 341, 323 325, 336, 148, 149 के अंतर्गत अपराध के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त एवं अभियुक्तगण किशन पुत्र रामजीलाल उम्र 45 साल, श्योदान पुत्र

भौरेलाल उम्र 38 साल, सरदार सिंह पुत्र रणजीता उम्र 38 साल, जयराम पुत्र रामजीलाल उम्र 40 साल, समस्त निवासी गुगली का गुवाडा पुलिस थाना प्रतापगढ़ जिला अलवर, राजस्थान को भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा 148, 149 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त घोषित किया जाता है एवं अभियुक्तगण किशन पुत्र रामजीलाल उम्र 45 साल, श्योदान पुत्र भौरेलाल उम्र 38 साल, सरदार सिंह पुत्र रणजीता उम्र 38 साल, जयराम पुत्र रामजीलाल उम्र 40 साल, समस्त निवासी गुगली का गुवाडा पुलिस थाना प्रतापगढ़ जिला अलवर, राजस्थान को धारा 341, 323 325, 336, सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध के आरोप के लिए दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(मनोज कुमार)
अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
थानागाजी, अलवर

<u>सजा के प्रश्न पर</u>

26. विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष का तर्क है कि अभियुक्तगण गरीब व्यक्ति हैं और अपने परिवार में जिम्मेदार सदस्य हैं, पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और करीब 10 वर्ष से अधिक की अंवीक्षा की पीड़ा भुगत रहे हैं। इसलिये अभियुक्तगण के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ देकर परिवीक्षा देकर छोड़ने का निवेदन किया है।

27. जिसका विरोध करते हुए, विद्वान अभियोजन अधिकारी ने कडा रूख अपनाते हुए, विहित कारावास से दण्ड़ित किये जाने का निवेदन किया।

28. उभय पक्षकारान की बहस पर विचार किया तथा पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन किया।

29. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रमाणित पाया गया अपराध धारा 323, 341, 336, 325, 34 भारतीय दंड संहिता का है जो प्रकृति से गंभीर है तथा प्रकरण में मजरूबान के साथ घातक हथियारो से मारपीट करना एवं आहत घासी राम के दो दांतो को जड से अलग करना प्रमाणित हुआ है। यहां यह उल्लेखनीय है कि यदि किसी व्यक्ति के दांत को जड से अलग कर दिया जाए तो व्यक्ति को भोजन ग्रहण करने में असुविधा होने के साथ–साथ उसके व्यक्तित्व पर विपरीत प्रभाव पडता है। ऐसे में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं आहत के आई चोट की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभ दिया जाना न्यायालय न्यायोचित नहीं पाता है। परंतु प्रकरण में अभियुक्तगण

की ओर से शपथ पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि उनका यह प्रथम अपराध है इससे पूर्व उनके द्वारा कोई परिवीक्षा का लाभ नहीं लिया है और ना ही उनके विरूद्ध कोई केस चला है। मामला वर्ष 2015 का है लगभग 10 वर्ष का समय विचारण में चला है। ऐसी स्थिति में न्यायालय सजा के बिन्दू पर नरमी रखते हुए अभियुक्तगण को निम्न प्रकार के दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित पाता है।

—:: दण्डादेश ::—

30. 1—अभियुक्तगण किशन पुत्र रामजीलाल उम्र 45 साल, श्योदान पुत्र भौरेलाल उम्र 38 साल, सरदार सिंह पुत्र रणजीता उम्र 38 साल, जयराम पुत्र रामजीलाल उम्र 40 साल, समस्त निवासी गुगली का गुवाडा पुलिस थाना प्रतापगढ़ जिला अलवर, राजस्थान को धारा 341, 323 325, 336, सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अपराध के आरोप के लिए की गई दोषसिद्धि में निम्नानुसार दंडित किया जाता है।

2—अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 341/34 भारतीय दंड संहिता की दोष सिद्धि में ***एक—एक माह के साधारण कारावास व 500—500/— (अक्षरे पांच—पांच सौ रूपये) अर्थदण्ड से,*** और अदम अदायगी अर्थदंड सात—सात दिवस के साधारण कारावास से जो मूल सजा के अतिरिक्त होगी, से दण्डित किया जाता है।

3— अभियुक्तगण उपरोक्त को अपराध अंतर्गत धारा 323/34 भारतीय दंड संहिता की दोष सिद्धि में ***एक—एक माह का साधारण कारावास व 500—500/— (अक्षरे पांच—पांच सौ रूपये) अर्थदण्ड से*** और अदम अदायगी अर्थदण्ड 07—07 दिवस के साधारण कारावास से जो मूल सजा के अतिरिक्त होगी, से दण्डित किया जाता है।

4— अभियुक्तगण उपरोक्त को अपराध अंतर्गत धारा 325/34 भारतीय दंड संहिता की दोष सिद्धि में ***एक—एक वर्ष के साधारण कारावास व 4000—4000/— (अक्षरे चार—चार हजार रूपये) अर्थदण्ड अक्षरे से*** और अदम अदायगी अर्थदण्ड एक—एक माह के साधारण कारावास से जो मूल सजा के अतिरिक्त होगी, से दण्डित किया जाता है।

5— अभियुक्तगण उपरोक्त को अपराध अंतर्गत धारा 336/34 भारतीय दंड संहिता की दोष सिद्धि में तीन***—तीन माह के साधारण कारावास व 200—200/—(अक्षरे दो—दो सौ रूपये) अर्थदण्ड*** से और अदम अदायगी अर्थदंड 07—07 दिवस के साधारण कारावास से जो मूल सजा के अतिरिक्त होगी, से दण्डित किया जाता है।

6— अभियुक्तगण के द्वारा जमा कराये गये कुल जुर्माना राशि में से **मजरूब घासीराम** को **10,000/— *(अक्षरे दस हजार रूपये)* हजार रूपये प्रतिकर के रूप में**

अदा किया जावे तथा शेष जमा राशि जमा राजकोष की जावे।

31. अभियुक्तगण का सजा वारंट नियमानुसार बनाया जावे और उनके द्वारा पुलिस अभिरक्षा व न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी समयावधि को समायोजित किया जावे। समस्त मूल सजायें साथ–साथ चलेंगी। अभियुक्तगण को निर्णय की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावे।

(मनोज कुमार)
अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
थानागाजी, अलवर

32. निर्णय आज दिनांक 17.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। जिसे आज मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(मनोज कुमार)
अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
थानागाजी, अलवर